

भाग-5

(इस वन विभाग के प्रभारी अथवा राज्य सरकार के कृषि अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18) राज्य सरकार की सिफारिशें

(उपर्युक्त भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये)

दिनांक :-

06.11.2020 की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है ।
13.11.20

स्थान :-

हस्ताक्षर :-

18

नाम व पदनाम

सरकारी मोहर

Anupam Garg
Conservator of Forest/Under Secretary
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow